झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

मध्यस्थता आवेदन सं० - 19/2023

मेसर्स हिंदुस्तान प्लॉयटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कारखाना - बी-16, द्वितीय चरण औद्योगिक क्षेत्र, जमशेदपुर, निदेशक निर्मल काबरा पिता स्वर्गीय बी. डी. काबरा, निवासी - मधु वाटिका, स्कूल रोड, डाकघर - जुगसलाई, जिला - पूर्वी सिंहभूम

..... **आवेदक**

-बनाम-

प्रबंध निदेशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो, कार्यालय इस्पात भवन, बोकारो स्टील सिटी डाकघर+थाना - बोकारो जिला - बोकारो, झारखंड ..... **विपक्ष**

कोरम: श्री संजय कुमार मिश्रा, सी.जे.

आवेदक की ओर से: श्री धबनंजय कुमार पाठक, अधिवक्ता

विपरीत पक्ष की ओर से: श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता

आरक्षित: 08.12.2023 **घोषित: 11.12.2023**

1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे संक्षिप्तता के लिए अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा 6 के तहत वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 10 के साथ इस आवेदन में मध्यस्थता के लिए मामले को संदर्भित करने और मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कोई समझौता है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि पक्षों के बीच मध्यस्थता विवाद मौजूद है।

2. प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 15.03.2011 के एन.आई.टी के खंड 21.0 के अनुसार, पक्षों के बीच विवाद के निवारण के लिए एक तंत्र/प्रक्रिया है। इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"**21.0 मध्यस्थता**:

अनुबंध के संबंध में प्रश्नगत मामले, दावे, विवाद और मतभेद, जिन्हें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाना है, उन्हें निर्णय के लिए स्टील प्लांट के एमडी/यूनिट प्रमुख, (सेल) द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले, स्टील प्लांट के एमडी/यूनिट प्रमुख, (सेल) तीन नामों को नामित करेंगे, जिनमें से ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता उनमें से किसी एक को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए अपनी सहमति देगा, ऐसा न करने पर तीन नामों को सूचित करने वाले पत्र जारी होने के 30 दिनों के बाद स्टील प्लांट के एमडी/यूनिट प्रमुख, (सेल) को तीन अधिसूचित व्यक्तियों में से किसी एक को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा।

यदि स्टील प्लांट (सेल) के प्रबंध निदेशक का पदनाम बदल दिया जाता है या उनका पद समाप्त कर दिया जाता है, तो जिस अधिकारी को स्टील प्लांट (सेल) के प्रबंध निदेशक के कार्य सौंपे गए हैं, चाहे वह किसी भी पदनाम से पुकारा जाता हो, वह एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए नामित व्यक्ति होगा। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेगा।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, नियुक्त किया गया एकमात्र मध्यस्थ अपनी नियुक्ति के समय से लेकर मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, बिना किसी देरी के, पार्टियों को लिखित रूप में ऐसी किसी भी परिस्थिति का खुलासा करेगा जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म दे सकती है, बशर्ते कि केवल इस तथ्य को ऐसी परिस्थिति नहीं माना जाएगा कि ऐसा एकमात्र मध्यस्थ सेल या उसकी सहायक कंपनी का कर्मचारी है। मध्यस्थ पार्टियों द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रश्नों, दावों, विवादों या मतभेदों का निर्णय भारत में वर्तमान में लागू मूल कानून के अनुसार करेगा।

मध्यस्थ स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से मामलों की सुनवाई करेगा और किसी भी पक्ष के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। किसी भी मध्यस्थ को अपनी नियुक्ति के समय

और उसके बाद किसी भी समय मामले में व्यक्तिगत रुचि होने पर खुद ही अपने पद से हट जाना चाहिए और पक्षों को भी उसे ऐसा करने के लिए कहने का अधिकार होगा। मध्यस्थता का स्थान _____ होगा (घरेलू निविदाओं के लिए, वह स्थान जहाँ प्लांट / यूनिट स्थित है; और वैश्विक निविदाओं के लिए दिल्ली)।

मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया मध्यस्थ द्वारा संदर्भ के साथ कार्यवाही करने से पहले पक्षों के परामर्श से तय की जाएगी। मध्यस्थ इस उद्देश्य के लिए तैयारी बैठक आयोजित कर सकता है। पूर्वोक्त तैयारी बैठक में, मध्यस्थ/मध्यस्थ, पक्षों के परामर्श से साक्ष्य लेने के तरीके, विशेषज्ञ साक्ष्य को बुलाने और मध्यस्थता कार्यवाही के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक सभी मामलों का भी निर्धारण करेंगे।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान, यदि कोई हों और उनमें सभी संशोधन/संशोधन इस अनुबंध में लागू माने जाएंगे और/या शामिल किए जाएंगे और जब अधिनियम/नियमों में ऐसे संशोधन किए जाएंगे।

अनुबंध के तहत कार्य/आपूर्ति, ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान जारी रखी जाएगी और मध्यस्थता का सहारा लेना कार्य या आपूर्ति को जारी रखने में बाधा नहीं होगी, जब तक कि संयंत्र/इकाई द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देशित न किया जाए।

3. हालाँकि, **मेसर्स बीजीआर माइनिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड**, मध्यस्थता आवेदन संख्या 10/2023, जिसका निर्णय आज न्यायालय में सुनाया गया है, में हमने पहले ही **वीज़ा इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल रिसोर्सेज (यूएसए) लिमिटेड, (2009) 2 एससीसी 55** के रिपोर्ट किए गए मामले पर भरोसा करके यह दृष्टिकोण अपनाया है कि प्रावधानों के वैकल्पिक निपटान का सहारा लिए बिना भी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। इसलिए, आवेदन स्वीकार किया जाता है। मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है।

4. सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील झारखंड राज्य के सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश पांडे को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने पर सहमत हुए।

5. अतः श्री ओम प्रकाश पांडे, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, को मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अध्यक्षता करने तथा पक्षों के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है। विद्वान मध्यस्थ, मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए फीस तथा अन्य व्यय निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, हालांकि, 1996 के अधिनियम की अनुसूची IV के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए। विद्वान मध्यस्थ, 1996 के अधिनियम की धारा 29-ए के तहत विधानमंडल के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

6. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह मध्यस्थता कार्यवाही के लिए नियुक्त मध्यस्थ को सूचित करे तथा विद्वान मध्यस्थ को संपूर्ण दलीलों की फोटोकॉपी तथा संपूर्ण आदेश पत्र की प्रति उपलब्ध कराए।

7. लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

8. यदि कोई लंबित अंतरिम आवेदन है तो उसका निपटारा कर दिया गया है।

9. नियमों के अनुसार तत्काल प्रमाणित प्रतियां।

(संजय कुमार मिश्रा, सी.जे.)

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।